<u>डिस्कलेमर</u>

अंतरिम आदेश संख्या 16/2022-23 का हिंदी अनुवाद संलग्न है। इस हिंदी पाठ के अंतर्गत दी गई किसी भी व्याख्या या अर्थ के संदर्भ में कोई भी भ्रांति या संदेह होने पर कृपया अंग्रेजी पाठ को ही प्रामाणिक माना जाए।

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण

आदेश संख्या 16/2022-23

ऐरा भवन,
प्रशासनिक कॉम्पलेक्स,
सफदरजंग हवाईअड्डा,
नई दिल्ली– 110003

जारी करने की तारीख: 01अगस्त, 2022

सेवा	:	**एकीकृत ईंधन स्टोरेज और इंटो प्लेन सेवाएं**
सेवा प्रदाता	:	**अहमदाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड**
हवाईअड्डा	:	**सरदार वल्लभभाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, अहमदाबाद**
हवाईअड्डा प्रचालक	:	**अहमदाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड**

अहमदाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (एआईएएल) द्वारा सरदार वल्लभभाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा (एसवीपीआईए), अहमदाबाद में प्रदान की जाने वाली एकीकृत ईंधन स्टोरेज और इंटो प्लेन (आईटीपी) सेवाओं के लिए 16.8 2022 से 31.3. 2023 तक की अवधि के लिए तदर्थ टैरिफ निर्धारित करने के मामले में

एआईएएल की प्रस्तुति:

1. एआईएएल ने दिनांक 03 मई, 2022 के अपने पत्र संख्या एआईएएल/सीओ/ऐरा-आईटी/2022/2 द्वारा प्राधिकरण को एसवीपीआईए, अहमदाबाद में **एकीकृत ईंधन स्टोरेज और इंटो प्लेन सेवाएं** प्रारंभ करने के अपने प्रस्ताव के बारे में सूचित किया और 1,455/- रूपए प्रति किलोलीटर के तदर्थ ईंधन अवसंरचना प्रभार (एफआईसी) का अनुमोदन करने का अनुरोध किया।

   एआईएएल ने उपर्युक्त पत्र द्वारा यह भी कहा है कि :

   (i) एआईएएल और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) के बीच निष्पादित रियायत करार के खंड 19.3 के अनुसार एआईएएल हवाईअड्डे पर सभी ईंधन आपूर्तिकर्ताओं के लिए समान/निर्बाध प्रवेश आधार पर पारदर्शी और भेदभाव रहित तरीके से ईंधन स्टोरेज और ईंटो-प्लेन सेवाओं (विमान में ईंधन भरना और ईंधन खाली करना) के लिए अपेक्षित अवसंरचना प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है।

   (ii) इस समय एसवीपीआईए, अहमदाबाद में आईओसीएल, बीपीसीएल और आरआईएल नामक विभिन्न तेल विपणन कंपनियां प्रचालनरत हैं। इन कंपनियों ने विभिन्न एयरलाइनों के साथ विमानन टरबाइन ईंधन (एटीएफ) की बिक्री करने की संविदाएं की हैं और ये तेल विपणन कंपनियां अपनी स्वयं की स्थाई स्टोरेज सुविधाओं और पुन: ईंधन भरने के बाउज़र से ईंधन स्टोरेज और इंटो प्लेन सेवाओं के साथ-साथ एटीएफ का विक्रय भी करती है। इन प्रचालनों की लागत एटीएफ की कीमत में शामिल की हुई है।

   (iii) निर्बाध प्रवेश के बाद तेल विपणन कंपनियां विमानों के लिए ईंधन आपूर्तिकर्ता बनी रहेंगी लेकिन एआईएएल से निर्बाध प्रवेश स्टोरेज और आईटीपी सेवाएं प्राप्त करेंगी।

(iv) निर्बाध प्रवेश के लिए दीर्घकालिक योजना के रूप में एआईएएल हाइड्रेंट प्रणाली के साथ–साथ ग्रीनफील्ड एकीकृत ईंधन फार्म तैयार कर रही है जो बाद में यथासमय सामने आएगा।

इस बीच एआईएएल समग्र दक्षता लाने और समय पर तथा लागत प्रभावी तरीके से ईंधन भरने की सेवाएं प्रदान करने के लिए ईंधन स्टोरेज और इंटो प्लेन सेवाओं के लिए वार्षिक प्रारंभिक निर्बाध प्रवेश की सुविधा शुरू करना चाहती है। इस संबंध में एआईएएल वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान ओएमसी की मौजूदा परिसंपत्तियां अर्जित करने (लगभग 13 करोड़ रूपए से) और उपस्कर की खरीद (19.40 करोड़ रूपए) के लिए 32.40 करोड़ रूपए का कैपेक्स वहन करने का प्रस्ताव करती है1

(v) एआईएएल अहमदाबाद हवाईअड्डे के लिए ईंधन स्टोरेज और इंटो प्लेन सेवाओं से संबंधित अपने कारोबार की योजना के अनुसार नई ग्रीनफील्ड ईंधन स्टोरेज सुविधा के लिए 75.90 करोड़ रूपए और हाईड्रेंट रिफ्यूलिंग सिस्टम के लिए 56.20 करोड़ रूपए के कैपेक्स का भी प्रस्ताव करती है। ग्रीनफील्ड फ्यूल फार्म सुविधा वित्त वर्ष 2023-24 तक और हाईड्रेंट रिफ्यूलिंग सिस्टम वित्त वर्ष 2025-26 तक चालू किए जाने की आशा है। ग्रीनफील्ड फ्यूल फार्म फैसिलिटी पूर्ण होने के बाद ईंधन स्टोरेज क्षमता 5000 किलोलीटर से बढ़कर 8000 किलोलीटर हो जाएगी।

(vi) एआईएएल ने हवाईअड्डे पर स्थित आईओसीएल और आरआईएल की स्थाई परिसंपत्तियों को अधिकार में लेने के लिए उनके साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर पहले ही हस्ताक्षर कर दिए हैं। बीपीसीएल के साथ अग्रिम स्तर पर चर्चा की जा रही है। हस्तांतरण करार किए जाने और तेल विपणन कंपनियों को तय की गई राशि का भुगतान किए जाने के उपरांत हवाईअड्डा प्रचालक पूर्वोक्त सुविधाओं का मालिक हो जाएगा। एआईएएल जब तक मोबाइल ब्राउज़र का अपना स्वयं का बेड़ा नहीं खरीद लेती तब तक के लिए मार्किट में उपलब्ध होने के आधार पर स्वयं के स्वामित्व वाले या लीज़ पर लिए गए आधार पर संयोजन के तौर पर मोबाइल ब्राउज़र के लिए भी व्यवस्था कर रही है।

(vii) एआईएएल ने दिनांक 12.07.2022 की ई-मेल द्वारा यह सूचित किया है कि प्रस्तावित सेवाएं प्रारंभिक करने के लिए अपेक्षित विनियामक अनुमोदन संबंधित प्राधिकरणों से जुलाई, 2022 के अंत तक प्राप्त होने की आशा है। साथ ही एआईएएल एसवीपीआईए, अहमदाबाद में 16 अगस्त, 2022 से एकीकृत ईंधन स्टोरेज और इंटो प्लेन सेवाएं शुरू करने का प्रस्ताव करती है।

इसके अतिरिक्त एआईएएल ने दिनांक 15.07.2022की ई-मेल द्वारा निम्नानुसार अहमदाबाद हवाईअड्डे पर प्रस्तावित ईंधन स्टोरेज और आईटीपी सेवाओं के संबंध में प्रस्तावित तदर्थ प्रभार (1455/- रूपए) का विवरण प्रस्तुत किया है:

16.08.2022 से एकीकृत ईंधन स्टोरेज और आईटीपी सेवाओं के लिए प्रस्तावित टैरिफ

ईंधन अवसंरचना लागत (एफआईसी)	**विमान में ईंधन भरना**	**विमान का ईंधन खाली करना**	**पदार्थ को खाली करने सहित विमान में पुन: ईंधन भरना**	
			24 घंटे के भीतर	24 घंटे के बाद
₹ 1,100 प्रति कि.ली.	₹ 355 प्रति कि.ली.	₹ 300 प्रति कि.ली.	₹ 350 प्रति कि.ली.	₹ 400 प्रति कि.ली.

दरों में लागू जीएसटी शामिल नहीं है।

(viii) चूंकि प्रस्तावित सेवाओं के लिए अंतिम रूप से टैरिफ निर्धारित करने में समय लगेगा, इसलिए इस बीच एआईएएल ने प्राधिकरण से अनुरोध किया है कि वह तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए नियमित टैरिफ अनुमोदित किए जाने तक एआईएएल को तदर्थ आधार पर ईंधन स्टोरेज और इंटो प्लेन सेवाओं के लिए प्रभार लगाने की अनुमति दें।

प्रधिकरण द्वारा एआईएएल के अनुरोध की जांच:

2. प्राधिकरण नोट करता है कि एआईएएल ने सरदार वल्लभभाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, अहमदाबाद के प्रचालन, प्रबंधन और विकास के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) के साथ दिनांक 14.02.2020 को 50 वर्ष के लिए रियायत करार पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। प्राधिकरण की अन्य टिप्पणियां इस प्रकार है:

(i) एआईएएल एएआई के साथ किए गए रियायत करार के खंड 19.3 के अनुसार एसवीपीआईए, अहमदाबाद में समान प्रवेश आधार पर ईंधन भरने की सेवाएं प्रचालित करने के लिए अपेक्षित अवंसरचना उपलब्ध कराए। यह खंड नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है:

"रियायतग्राही हवाईअड्डे पर सभी विमानों के लिए समान प्रवेश आधार पर पारदर्शी और भेदभाव रहित तरीके से ईंधन भरने की सेवाएं प्रचालित करने के लिए अपेक्षित अवसंरचना उपलब्ध करेगा या करवाएगा। इस अवसंरचना में इस करार के प्रावधानों, लागू विधियों और मान्य उद्योग पद्धति के अनुसार टैंक संरचना और संबद्ध सुविधाएं शामिल होगी।"

(ii) एआईएएल द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से प्राधिकरण को ज्ञात हुआ है कि एआईएएल ने ईंधन स्टोरेज और इंटो प्लेन सेवाओं से संबंधित आवश्यक सुविधाओं को अधिकार में लेने के लिए अहमदाबाद हवाईअड्डे पर प्रचालन कर रही इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) नामक दो तेल विपणन कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापन पर पूर्व में ही हस्ताक्षर कर दिए हैं। इसके अतिरिक्त हवाईअड्डा प्रचालक के अनुसार अहमदाबाद हवाईअड्डे पर अवस्थित बीपीसीएल की परिसंपत्तियों को अधिकार में लेने के लिए इसके साथ समान समझौता ज्ञापन करने के लिए अग्रिम स्तर की बातचीत चल रही है।

3. प्राधिकरण नोट करता है कि एआईएएल द्वारा निर्बाध प्रवेश प्रणाली लागू किए जाने के बाद तेल विपणन कंपनियां विमानों में ईंधन की आपूर्तिकर्ता बनी रहेगी और ईंधन की आपूर्ति तथा आईटीपी सेवाओं के लिए मिश्रित प्रभार वसूल करेगी। परंतु तेल विपणन कपंनियों को एआईएएल से निर्बाध प्रवेश स्टोरेज और आईटीपी सेवाएं प्राप्त करनी होगी तथा अनुमोदित टैरिफ के अनुसार हवाईअड्डा प्रचालक को इन सेवाओं के लिए भुगतान अदा करना होगा।

4. अहमदाबाद हवाईअड्डे पर एआईएएल द्वारा अधिकार में लेने के लिए प्रस्तावित तेल विपणन कपंनियों की पुरानी परिसंपत्तियों की लागत के संबंध में हवाईअड्डा प्रचालक ने दिनांक 12.07.2022 की ई-मेल द्वारा यह सूचित किया है कि मूल्यहृास को घटाकर परिसंपत्तियों की प्रतिस्थापन लागत से ये परिसंपत्तियां अधिकार में ली जाएंगी।

5. प्राधिकरण ने प्रस्तावित सेवाओं के संबंध में एआईएएल द्वारा प्रस्तुत कैपेक्स और ओपेक्स की समीक्षा के दौरान यह नोट किया है कि हवाईअड्डा प्रचालक ने अनुमानत: वित्त वर्ष 2023-24 तक पूर्ण की जाने वाली नई ग्रीनफील्ड फ्यूल फार्म सुविधा से संबंधित कैपेक्स सहित एकीकृत ईंधन स्टोरेज और इंटो प्लेन (आईटीपी) सेवाओं के लिए निर्बाध प्रवेश सुविधा प्रारंभ करने के लिए कैपेक्स को मान लिया है। परंतु प्राधिकरण यह महसूस करता है कि चूंकि नई ग्रीनफील्ड सुविधा वित्त वर्ष 2023-24 में चालू किए जाने का अनुमान है इसलिए इस स्तर पर तदर्थ टैरिफ दरें निर्धारित करने के लिए भावी सुविधाओं के कैपेक्स को मानना औचित्यपूर्ण नहीं होगा। प्राधिकरण एसवीपीआईए, अहमदाबाद में क्षमता सृजन, कैपेक्स की कार्य दक्षता, उपलब्ध क्षमता की तुलना में विद्यमान सुविधा के वास्तविक उपयोग और हवाई यातायात की मात्रा की अभी तक की स्थितियों को ध्यान में रखकर वैमानिक सेवाओं के लिए नियमित टैरिफ निर्धारित करते समय साकल्यवादी दृष्टिकोण से इसकी जांच करेगा।

6. प्राधिकरण नोट करता है कि हवाईअड्डा प्रचालक द्वारा एसवीपीआईए, अहमदाबाद के संबंध में तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए ईंधन स्टोरेज और इंटो प्लेन सेवाओं सहित वैमानिक सेवाओं के लिए टैरिफ निर्धारित करने के लिए बहुवर्षीय टैरिफ प्रस्ताव (एमवाईटीपी) 07 फरवरी, 2022 को प्रस्तुत कर दिया गया है। हवाईअड्डा प्रचालक द्वारा प्रस्तुत एमवाईटीपी की समीक्षा/संवीक्षा की जा रही है क्योंकि सेवा प्रदाता द्वारा एमवाईटीपी से संबंधित विभिन्न विवरण/अतिरिक्त जानकारी प्रस्तुत किए जाने की अभी भी प्रतीक्षा की जा रही है। तत्पश्चात हवाईअड्डा प्रचालक ने दिनांक 03 मई, 2022 के अपने पत्र द्वारा एकीकृत ईंधन स्टोरेज और इंटो प्लेन सेवाओं के लिए तदर्थ टैरिफ अनुमोदित करने के लिए अलग से अनुरोध भी प्रस्तुत किया है।

7. प्राधिकरण नोट करता है कि एसवीपीआईए, अहमदाबाद के संबंध में परामर्श पत्र और टैरिफ आदेश जारी करने सहित तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए वैमानिक सेवाओं के लिए नियमित टैरिफ निर्धारित करने की विनियामक प्रक्रिया पूर्ण होने में थोड़ा समय लगेगा। प्राधिकरण ने लखनऊ इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (एलआईएएल) सहित अन्य प्रमुख हवाईअड्डों पर हवाईअड्डा प्रचालकों/स्वतंत्र सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदान की जाने वाली समान सेवाओं के लिए अनुमोदित टैरिफ को ध्यान में रखा है। अंतरिम उपाय के तौर पर प्राधिकरण एआईएएल को **16.08.2022 से 31.03.2023** तक या एसवीपीआईए, अहमदाबाद के लिए तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए नियमित वैमानिक टैरिफ निर्धारित किए जाने तक, जो भी पहले हो, **संलग्नक-I** के अनुसार एसवीपीआईए, अहमदाबाद में तदर्थ टैरिफ लगाने की अनुमित देने का निर्णय लेता है।

8. एआईएएल द्वारा अंतरिम अवधि में तदर्थ आधार पर संग्रहित राजस्व एसवीपीआईए, अहमदाबाद के लिए तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए वैमानिक सेवाओं के लिए टैरिफ निर्धारण कार्य के दौरान हिसाब में लिया जाएगा।

आदेश

रिकॉर्डों में उपलब्ध तात्विक सामग्री पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद प्राधिकरण, भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 13(1)(ए) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा आदेश देता है कि:

(i) अहमदाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (एआईएएल) को **16.08.2022 से 31.03.2023 तक** के लिए या तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए नियमित वैमानिक टैरिफ निर्धारित किए जाने तक, जो भी पहले हो, **संलग्नक-I** के अनुसार **एकीकृत ईंधन स्टोरेज और इंटो प्लेन (आईटीपी) सेवाओं के लिए** तदर्थ आधार पर टैरिफ लगाने और वसूल करने की अनुमित दी जाती है।

(ii) यह आदेश एसवीपीआईए, अहमदाबाद में प्रस्तावित एकीकृत ईंधन स्टोरेज और इंटो प्लेन (आईटीपी) सेवाएं प्रारंभ होने से पूर्व सभी अपेक्षित विनियामक और सांविधिक अनुमोदन प्राप्त होने पर ही प्रभावी किया जाएगा।

(iii) ऊपर बताए अनुसार निर्धारित टैरिफ प्रयोक्ताओं से वसूल की जाने वाली अधिकतम टैरिफ है और अनुमोदित टैरिफ के अतिरिक्त अन्य कोई प्रभार नहीं लगाया जाएगा।

(iv) ऊपर बताए अनुसार अनुमोदित टैरिफ में सभी लागू सरकारी कर, यदि कोई हो, शामिल नहीं है।

प्राधिकरण की ओर से जारीकर्ता

(कर्नल मनु सूदन)
सचिव

सेवामें,

मुख्य हवाईअड्डा अधिकारी,
अहमदाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड,
सरदार वल्लभाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा,
अहमदाबाद, गुजरात -382475

प्रतिलिपि सूचनार्थ,

(i) सचिव, नागर विमानन मंत्रालय, राजीव गांधी भवन, सफदरजंग हवाईअड्डा, नई दिल्ली – **110 003**

(ii) श्री मनोज चान्दुका, प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता, अहमदाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, टर्मिनल **–I**, प्रथम तल, सरदार वल्लभभाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, अहमदाबाद, गुजरात-382475

संलग्नक – I

अहमदाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड द्वारा सरदार वल्लभभाई अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, अहमदाबाद में प्रदान की जाने वाली एकीकृत ईंधन स्टोरेज और इंटो प्लेन (आईटीपी) सेवाओं के लिए अनुमोदित तदर्थ टैरिफ।

(16.08.2022 से 31.03.2023 तक की अवधि के लिए लागू)

(राशि रूपए में प्रति कि.ली.)

ईंधन अवसंरचना प्रभार	**विमान में पुन: ईंधन भरना**	**विमान का ईंधन खाली करना**		**विमान का पदार्थ खाली करना और विमान में पुन: ईंधन भरना**	
		6 घंटे के भीतर	6 घंटे के बाद	6 घंटे के भीतर	6 घंटे के बाद
470 रूपए प्रति कि.ली	200 रूपए प्रति कि.ली	200 रूपए प्रति कि.ली	300 रूपए प्रति कि.ली	250 रूपए प्रति कि.ली	300 रूपए प्रति कि.ली

नोट: इसमें ऊपर अनुमोदित दरें उच्चतम दरें हैं, इनमें सभी लागू सरकारी कर, यदि कोई हो, शामिल नहीं है।